

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर—प्रथम, जयपुर जिला जयपुर

प्रार्थना पत्र संख्या: 50/2023

GCMS No.—2022/60

पूर्व दर्ज नंबर 02/2022

शंकरलाल मीना पुत्र श्री भगवान सहाय मीना, जाति मीना, निवासी ग्राम दौलतपुरा, गुस्सार तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।

...प्रार्थीगण

बनाम

1. महादेव पुत्र श्री भोमा जाति धानका (मृतक)
1/1 जगदीश नारायण पुत्र महादेव
1/2 कृष्ण कुमार पुत्र महादेव
1/3 हीरालाल पुत्र महादेव
समस्त जाति धानका, समस्त निवासीगण दौलतपुरा गुस्सार, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।
2. धन्ना पुत्र श्री कालू जाति मीना, निवासी दौलतपुरा गुस्सार, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जमवारामगढ, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।
4. उपपंजीयक जमवारामगढ, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।

.....अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) भू आवंटन अधिनियम विरुद्ध आवंटन आदेश दिनांक 21.08.1978 मिसल संख्या 484/1978 ग्राम दौलतपुरा गुस्सार में कृषि प्रयाजनार्थ भूमि नियमन/आवंटन आदेश पारित किया गया के विरुद्ध।

उपस्थित:-

1. श्री सुरेश शर्मा अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।
2. श्री रामधन चौधरी अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से।

निर्णय

दिनांक 12.05.2025

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र आवंटन सलाहकार समिति (उप जिलाधीश आमेर) के आदेश दिनांक 21.08.1978 जिससे अप्रार्थी संख्या 1/1 लगायत 1/3 के पूर्वज महादेव पुत्र भोमा जाति धानका निवासी ग्राम दौलतपुरा, तहसील जमवारामगढ को ग्राम दौलतपुरा स्थित भूमि आराजी खसरा नम्बर 93 में से रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा का आवंटन किया से असंतुष्ट होकर दिनांक 30.03.2022 को इस न्यायालय में प्रस्तुत किया। पत्रावली दर्ज कर नोटिस विपक्षीगण जारी करने तथा आवंटित आदेश से सम्बन्धित पत्रावली तलब करने के आदेश दिये गये। अप्रार्थीगण संख्या-1/1 लगायत 1/3 की ओर से कोई उपस्थित नहीं आये। अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता श्री रामधन चौधरी उपस्थित आये। अप्रार्थी संख्या-3 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित आये। प्रभारी अधिकारी रिकॉर्ड शाखा कलेक्ट्रेट जयपुर से मूल आवंटन पत्रावली नहीं मिलना जरिये जाहिर किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध आवंटन पत्रावली की प्रमाणित छायाप्रति के आधार पर पत्रावली बहस हेतु नियत की गयी। उभय पक्ष अधिवक्ता द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत की गयी जो शामिल मिसल की गयी।

अतिरिक्त कलेक्टर (प्रथम)
जयपुर



विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस में वर्णित तथ्यों अनुसार अप्रार्थी संख्या 1 महादेव पुत्र भोमा द्वारा राजस्व कर्मचारियों से सांठ-गांठ कर साबिक खसरा नंबर 93 में से 1 बीघा 3 बिस्वा भूमि का आवंटन करवा लिया जो कि प्रार्थी के राजस्व रिकॉर्ड की खातेदारी भूमि के समीप एवं सीमा जोड भूमि है। अप्रार्थी संख्या 2 ने खातेदारी भूमि की गलत तरमीम करवाकर गलत रूप से नक्शे में दर्ज करवा ली गयी। अप्रार्थी को ग्राम दौलतपुरा हाल तहसील आंधी स्थित भूमि खसरा नंबर 93 हाल खसरा नंबर 260 आवंटित किया गया एवं आवंटित पत्रावली में जो नक्शा प्रस्तुत है वह वर्तमान नक्शे से मेल नहीं खाता है एवं साबिक खसरा नंबर 93 की तरमीम आज दिनांक तक भू राजस्व एवं भूप्रबन्ध अधिकारी द्वारा नक्शे में नहीं की गयी है ना ही भूमि के नक्शे में तरमीम के संबंधित दस्तावेज भू राजस्व कार्यालय में मौजूद है। अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा खसरा नंबर 93 का मनमर्जी से वर्तमान खसरा नंबर 260, 246 के नक्शे में तरमीम करवा लिया। जबकि खसरा नंबर 260 के समीप ही प्रार्थी के मकान एवं कृषि भूमि में आने जाने के लिये रास्ता अपने पूर्वजो के समय से मौजूद है एवं वर्तमान में भी मौजूद है। आवंटन समिति द्वारा आलौच्य आदेश पारित करने से पूर्व न तो मौके पर जांच की गयी एव ना ही प्रकरण में किसी व्यक्ति को नोटिस जारी कर आपत्ति मांगी गयी एवं प्रार्थी या प्रार्थी के पिता को किसी प्रकार से सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 ने आवंटन नियमों के विपरीत जाकर आवंटित भूमि का बेचान अप्रार्थी संख्या 2 को कर दिया एवं वर्तमान में अप्रार्थी संख्या 2 प्रार्थी के पूर्वजो के समय से चले आ रहे रास्ते को बन्द करना चाहते है। खसरा नंबर 260 के समीप ही खसरा नंबर 261 रकबा 0.30 हैक्टेयर आबादी भूमि है। उक्त आबादी पर ग्राम पंचायत द्वारा पट्टे भी जारी किये गये है। उक्त पट्टेशुदा भूमि पर प्रार्थी अपने पिता के समय से ही काबिज है। अप्रार्थी को पटवारी हल्का से राजस्व रिकॉर्ड के नक्शे की नकल लेने पर पता चला कि आवागमन के रास्ते की भूमि का गैर कानूनी रूप से आवंटन कर दिया गया है एवं उक्त आवंटन के पश्चात भूमि का विक्रय भी कर दिया गया है। इसके पश्चात प्रार्थी ने अविलम्ब आवंटन पत्रावली की नकल प्राप्त कर माननीय न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। आवंटन आवेदन प्रार्थना पत्र पर ना तो गवाह के हस्ताक्षर है ना ही इस संबंध में किसी प्रकार का कोई शपथ प्रस्तुत किया गया है कि आवंटनशुदा व्यक्ति महादेव पुत्र भोमा भूमिहीन व्यक्ति हो। आवंटन भूमि के संबंध में रिपोर्ट पर संबंधित अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं है एवं आवंटन की कार्यवाही पर कोई भी दिनांक अंकित नहीं है। उक्त भूमि का आवंटन तत्कालीन सरकार द्वारा अंत्योदय योजना के अनुसार किया गया था जिसके तहत आवंटित की गयी भूमि को दीगर व्यक्ति को बेचान नहीं किया जा सकता था। इस कारण भी आवंटन निरस्त किये जाने योग्य है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगणो के पूर्वज महादेव पुत्र भोमा जाति धानका के हक में दिनांक 21.08.1978 को ग्राम दौलतपुरा, तहसील जवारागढ हाल

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम)
जयपुर

तहसील आंधी स्थित भूमि साबिक खसरा नंबर 93 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा का आवंटन निरस्त फरमाने की कृपा करें।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस अनुसार आवंटन सलाहकार समिति द्वारा विवादित भूमि का अप्रार्थीगणों के पिता स्व.महादेव के हक में किया गया आवंटन नियमों की पालना करते हुए ही किया गया, इसमें कोई गलती आवंटन सलाहकार समिति द्वारा नहीं की गई है। अप्रार्थी संख्या 2 ने जरिये रजि० विक्रय पत्र भूमि को क्रय किया है एवं वर्तमान में अप्रार्थी संख्या 2 का ही भूमि पर काबिज काश्त है जिसके संबंध में पटवारी हल्का की रिपोर्ट दिनांक 30.05.2022 भी न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है। आवंटित भूमि पर अप्रार्थीगण ही कब्जे काश्त करते चले आ रहे हैं। आवंटन सलाहकार समिति ने आवंटि को सम्पूर्ण विधिक प्रक्रिया अपनाकर आवंटन किया तथा आवंटन के समय ही आवंटित कृषि भूमि का कब्जा आवंटि को सुपुर्द कर दिया। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मियाद बाहर एवं अप्रार्थीगणों को हैरान परेशान की नियत से पेश किया अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे। अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा न्यायिक दृष्टान्त RRT 383 High court, 2011(2) RRT 1205 Raj. High court, 2011(2) RBJ1995 page 1080 Raj high court, RRT 2019(2) Page 399 आदि पेश किये गये।

विद्वान अधिवक्ता पैरोकार सरकार की दलील है कि प्रकरण में आवंटि को नियमानुसार आवंटन किया गया है। तहसीलदार आंधी की रिपोर्ट से स्पष्ट है कि मौके पर कोई टंकी व तालाब नहीं बने हुए है। प्रार्थना पत्र 14(4) खारिज किया जावे।

विद्वान उभय पक्ष अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस का भलीभांति अवलोकन किया गया। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात, पत्रावली पर उपलब्ध आवंटन पत्रावली की प्रमाणित छायाप्रति तथा वकील पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत का अवलोकन किया तथा तथा सम्बन्धित कानून के परिपेक्ष्य में गम्भीरता पूर्वक मनन किया गया। प्रकरण में आवंटि स्व. महादेव पुत्र भोमा जाति घानका निवासी ग्राम दौलतपुरा को ग्राम दौलतपुरा, हाल तहसील आंधी के आराजी खसरा नंबर 93 में 1 बीघा 3 बिस्वा भूमि का आवंटन किया गया जिसके हाल खसरा नंबर 260 रकबा 0.29 हैक्टेयर है। वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड मुताबिक खसरा नंबर 260 रकबा 0.29 है० किस्म बारानी-3 अप्रार्थी संख्या 2 धन्ना पुत्र कालू जाति मीना के नाम खातेदारी दर्ज रिकॉर्ड है। प्रकरण में आवंटि को तत्समय आवंटित भूमि की किस्म बारानी थी एवं वर्तमान जमाबन्दी अनुसार भी बारानी अंकित है तथा आवंटि स्व. महादेव/ उसके वारिसान को खातेदारी अधिकारी प्राप्त हो गये जिसके पश्चात उन्होंने अपनी आवंटित भूमि का बेचान अप्रार्थी संख्या 2 को कर दिया। आवंटन सलाहकार समिति द्वारा प्रकरण में आवंटित भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 में वर्णित प्रतिबंधित भूमि नहीं है। आवंटन पत्रावली की प्रमाणित छायाप्रति अवलोकन से जाहिर होता है कि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा आवंटि स्व. महादेव के आवेदन पर कार्यवाही करते हुए ग्राम दौलतपुरा स्थित भूमि खसरा नंबर 93 में 1 बीघा 3



अतिरिक्त कलेक्टर
जयपुर

बिस्वा का आवंटन स्व. महादेव के हक में किया। आवंटन पत्रावली पर सरपंच ग्राम पंचायत धर्मपुरा के प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर है। आवंटन पश्चात स्व. महादेव को कब्जा दिये जाने संबंधी दस्तावेज भी उपलब्ध है। 2011(1) RRT 383 राजस्थान हाई कोर्ट में अभिलिखित है कि आवंटन के 30 वर्ष बाद आवेदन पेश किया आवेदन खारिज किया गया वर्ष 1968 में भूमि आवंटित की गयी निचले न्यायालयों ने इतने लम्बे विलम्ब के बाद शक्तियों का उपयोग करने से इन्कार किया, निर्णीत, आदेशों में त्रुटि नहीं है। 2011(2) RRT 1205 राज. उच्च न्यायालय में अभिलिखित है कि आवंटन के 40 वर्ष बाद आवेदन पेश किया गया आवंटन निरस्त करने हेतु मामला नहीं पाया और आवेदन खारिज किया गया—निर्णीत, आदेश में अधिकारिता की त्रुटि नहीं है। Accordgin RBJ 1995(2) Page 1080 After Conferment of khatedari Rights, Allotment cannot be cancelled. पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन से जाहिर है कि पक्षकारान के मध्य मुख्य विवाद तरमीम शुद्धि एवं नक्शा दुरुस्ती का है इस बाबत न्यायालय हाजा को श्रवण क्षेत्राधिकार प्रदत्त नहीं है। प्रार्थी तरमीम शुद्धि एवं नक्शा दुरुस्ती बाबत सक्षम स्तर पर चाराजोई कर अनुतोष प्राप्त करने हेतु स्वतंत्र है। विचाराधीन प्रकरण में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत उज्र/आक्षेप उचित प्रतीत नहीं होते है। आवंटी को खातेदारी अधिकार प्राप्त होने के पश्चात भूमि का विक्रय किये जाने के कारण तथा उपरोक्त वर्णित न्यायिक दृष्टांतों को मददेनजर रखते हुए प्रार्थीगण द्वारा कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 की धारा 14(4) के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित नहीं समझते है।

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 14(4) अन्तर्गत कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रमाणित प्रति तहसीलदार आंधी को प्रेषित की जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 12.05.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।



(विनिता सिंह)
अति.कलक्टर—प्रथम,
जयपुर

